



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |   |
|---------|---|
| सं. 80] | नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 6, 2019/माघ 17, 1940         |
| No. 80] | NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6, 2019/MAGHA 17, 1940 |

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 95(अ).**—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगकरते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के, नियम 42 के, उपनियम (1) के, खंड (ii) में, उप-खण्ड (ज) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक का अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“परंतु रत्न और आभूषण यूनिट के मामले में, सोने के जड़ाऊ आभूषण, चाँदी के आभूषण और कृत्रिम आभूषण, तैयार माल जिनका आगे का प्रसंस्करण अपेक्षित है अथवा अर्द्ध तैयार माल, उप संविदा करने के लिए यूनिट द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर ले जाए गए हों, को यूनिट में पैंतालीस दिनों के अंदर वापस ले आना होगा।”

[फा. सं. सी-2/1/2018—एसईजेड]

बी बी स्वेन, अपर सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड- 3, उपखण्ड (i) में सा. का. नि. संख्या 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा. का. नि. संख्या 1139 (अ), तारीख 9 नवम्बर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2019

**G.S.R. 95(E).**—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, in rule 42, in sub-rule (1), in clause (ii), in sub-clause (h), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that in case of a gems and jewellery unit, studded gold jewellery, silver jewellery and imitation jewellery, the finished goods requiring further processing or semi-finished goods, taken outside the Special Economic Zone for sub-contracting by the unit, shall be brought back into the unit within forty-five days.”.

[F.No. C-2/1/2018-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

**Note:** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10<sup>th</sup> February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R 1139 (E), dated the 9 November, 2018.